रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003/माघ 29, 1924
No. 162] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2003/MAGHA 29, 1924

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

का.आ. 194(अ).—केन्द्रीय सरकार, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता की मंजूरी के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1 मार्च, 2003 से 29 फरवरी, 2008 (दोनों दिन सम्मिलित) तक अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए रेपसीड/सरसों में अग्रिम संविदा के संबंध में मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[मिसिल सं. 12/9/आईटी/2001(1)]

डॉ. कल्याण रायपुरिया, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 February, 2003

S.O. 194(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said act, recognition to the said Exchange for a period of five years from 1st March, 2003 to 29th February, 2008 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Rapeseed/Mustardseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/9/IT/2001(1)]

Dr. KALYAN RAIPURIA, Sr. Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

का.आ. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज, ग्वालियर द्वारा मान्यता की मंजूरी के लिए अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1 मार्च, 2003 से 29 फरवरी, 2008 (दोनों दिन सम्मिलित) तक अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए रेपसीड/सरसों में अग्रिम संविदा के संबंध में मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[मिसिल सं. 12/9/आईटी/2001(2)]

डॉ. कल्याण रायपुरिया, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 February, 2003

S.O. 195(E).—The Central Government, having considerd in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by Central India Commercial Exchange, Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said act, recognition to the said Exchange for a period of five years from 1st March, 2003 to 29th February, 2008 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Rapeseed/Mustardseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/9/IT/2001(2)]

Dr. KALYAN RAIPURIA, Sr. Economic Adviser.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

का.आ. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार, राजधानी आयल्स एंड आयलसीड्स एक्सचेंज लि., दिल्ली द्वारा मान्यता की मंजूरी के लिए अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1 मार्च, 2003 से 29 फरवरी, 2008 (दोनों दिन सम्मिलित) तक अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए रेपसीड/सरसों, इनका तेल और खली में अग्रिम संविदा के संबंध में मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[मिसिल सं. 12/9/आईटी/2001(3)]

डॉ. कल्याण रायपुरिया, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 February, 2003

S.O. 196(E).—The Central Government, having considerd in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by Rajdhani Oils and Oilseeds Exchange Ltd. Delhi and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said act, recognition to the said Exchange for a period of five years from 1st March, 2003 to 29th February, 2008 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Rapeseed/Mustardseed, its Oil and Oilcake.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/9/IT/2001(3)]

Dr. KALYAN RAIPURIA, Sr. Economic Adviser.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.